न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 58/2022 बउनवानी विनोद कुमार बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर
जाति जांगिड निवासी चौरू, तहसील उनियारा, जिला टोंक

on line Appeal No. 32163571724959

GCMS No-2022/

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
3.8.2022	

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 23.3..2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः--

1. ख0न0 2334,398 ओर 399 के खातेदार स्व0 श्रीमति छोटी देवी पुत्री स्व0 रघुनाथ खाती निवासी रवॉजना चौड का हस्तान्तरण उसके पति श्री रूपचन्द खाती निवासी पांचोलास को किस अधिनियम के तहत किया गया। उस नियम की एक कापी देवें।
2. मुकदमा कमांक 18/2015 कंचन बनाम रूपचन्द तारीख 10.1.2018 को यथा स्थिति का निर्णय सुनाया गया इसके उल्लंघन के फलस्वरूप खातेदार स्व0 छोटी देवी पुत्री स्व0 श्री रघुनाथ खाती निवासी रवॉजना चौड का हस्तानान्तरण पति रूपचन्द निवासी पांचोलास को किया गया। निर्णय की अवहेलना क्यो की गयी। कारण संलग्न करे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस क्रमांक /सूकाअ/2022/भू.अ./2022/5824 दिनांक 19.7.2022 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण उपलब्ध करवाया जाना आवाश्यक नही है किन्तु फिर भी नामा0 संख्या 1294 दिनांक 20.8.2018 के साथ चस्पा किये गये दस्तावेजो की प्रमाणित प्रति तहसीलदार सवाईमाधोपुर के पत्रांक 5823 दिनांक 19.7.2022 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। इस प्रकार वांछित सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 23.3.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाी गयी सूचना प्रश्नात्मक है तथा उक्त अधिनियम के तहत प्रश्नो का जवाब दिये जाना आवश्यक नही है किन्तु फिर भी तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा खातेदार स्व0 छोटी देवी पुत्री स्व0 श्री रघुनाथ खाती निवासी रवॉजना चौड की विरासत का पति रूपचन्द निवासी पांचोलास के पक्ष मे तस्दीक किये गये नामा0 संख्या 1294 दिनांक 20.8.2018 वाके ग्राम रवॉजना चौड के साथ चस्पा किये गये दस्तावेजो की प्रमाणित [illegible] जरिये पत्रांक 5823 दिनांक 29.7.2022 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित समझता हूँ। परिणाम[illegible]की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद [illegible] दाखिल अभिलेख [illegible]। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:31:51 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर